राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–446 / 2015 / जयपुर

जयमाला पत्नि रामकिशन,
जाति–मीणा, निवासी–कस्बा चौमू,तहसील–चौमूं, जयपुर ...प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक,चौमूं
2. सुरजी देवी पत्नि सुरजाराम,जाति–मीणा,निवासी–ग्राम पाटन, तहसील–नीम का थाना, जिला सीकर .....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम–सदस्य

उपस्थित : :

श्री विकास पाराशर,
अभिभाषक ....निगरानीकर्ता की ओर से

श्री जमील जई,
उप राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी संख्या एक की ओर से

श्री बकुल कुमार रूणवाल
अभिभाषक ....अप्रार्थी संख्या दो की ओर से

निर्णय दिनांक : 14 / 06 / 2017

निर्णय

1. निगरानीकर्ता (प्रार्थीया) द्वारा यह निगरानी कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर वृत जयपुर द्वितीय के द्वारा प्रकरण संख्या 859 / 2010 में पारित निर्णय दिनांक 09.11.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है जिसके द्वारा उन्होंने उप पंजीयक, चौमू द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि श्रीमति सूरजीदेवी पत्नि श्री सुरजाराम मीणा (विक्रेती) ने अपने स्वामित्व की कस्बा चौमू स्थित आराजी खसरा नं. 6406 रकबा 0.54 हैक्टेरयर भूमि का हिस्सा 1 / 4 भाग में एक आवासीय भूखण्ड सं. ई–15 जिसका क्षेत्रफल 311.11 वर्गगज अर्थात 260.15 वर्गमीटर ने जयमाला पत्नि रामकिशन, जाति–मीणा, हाल निवासी–कस्बा चौमू,तहसील–चौमूं, जयपुर (क्रेती) को रू0 3,55,000 / में विक्रय कर, विक्रय लेखपत्र उप पंजीयक चौमू के पंजीयन हेतु पेश किया। उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज को पंजीयन क्रमांक 3510 दिनांक 03.09. 2009 को पंजीबद्ध कर संबंधित पक्षकार को लौटा दिया। परन्तु आंतरिक लेखा जांच / महालेखाकर जांच दल द्वारा मौका निरीक्षण के पश्चात प्रश्नगत दस्तावेज की कुल मालियत रू0 29,26,690 / – मानी जाकर, प्रार्थीया को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थीया द्वारा राशि जमा नहीं कराने पर, रेफरेन्स तैयार कर कलक्टर(मुद्रांक) को पेश किया गया। कलक्टर (मुद्रांक) ने प्रस्तुत रेफरेंस को स्वीकार करते हुए प्रश्नगत सम्पति

लगातार............2

की मालियत उपरोक्तानुसार आंकी जाकर, कमी मुद्रांक रू0 1,02,710/–, कमी पंजीयन शुल्क रू0 21,410/– व शास्ती रू0 ...../– कुल रू0 1,26,000/––प्रार्थीया से वसूल करने का आदेश पारित किया। कलक्टर(मुद्रांक) के इस आदेश से व्यथित होकर, प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी पेश की गयी है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 की ओर से उप राजकीय विद्वान उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उनके विद्वान अभिभाषक उपस्थित आये।

4. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण व विवेचना का अभाव है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान मुद्रांक नियम 2003 के नियम 65 की पालना किये बिना व बिना कोई जांच किए रेफरेन्स स्वीकार किया है जो विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर रेफरेन्स खारिज किया जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2 की ओर से भी प्रार्थीया के कथनों का समर्थन करते हुए निगरानी खारिज करने हेतु निवेदन किया।

6. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

8. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने तथा प्रार्थीया द्वारा धारा 5 में अंकित कारण कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी वसूली की कार्यवाही के आधार पर हुई संतोषजनक होने के दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. विचाराधीन प्रकरण में दस्तावेज पंजीयन दिनांक 03.02.2009 को पंजीबद्ध कर लौटा दिया था तथा उपपंजीयक ने रेफरेन्स आन्तरिक लेखा जांच दल के निम्न आक्षेप पर किया है :– " दस्तावेज के संलग्न नक्शे अनुसार भूखण्ड के पास के प्लाट में दुकानें अंकित है तथा स्थिति हैं। नजदीक का सम्पूर्ण प्लाट व्यवसायिक बताया गया है। अतः व्यवसायिक दर लगनी चाहिए।"

लगातार............3

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने एकपक्षीय निर्णय दिनांक 09.11.2010 द्वारा रेफरेन्स यथावत स्वीकार किया है। रेफरेन्स के संबंध में नियम 65 के अन्तर्गत कोई जांच नहीं की गई है व न ही निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने हेतु कोई कारण या विवेचन–विश्लेषण किया गया है।

10. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि निर्णय में रेफरेन्स के बिन्दुओं को बिना कोई विवेचना एवं विश्लेषण किये पारित किया है जो विधिसम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करने के सम्बन्ध में कोई कारण अंकित नहीं किया गया है। निर्णय नॉन स्पीकिंग व नॉन रीजण्ड है। निर्णय में तर्क, कारण एवं विधिक विवेचना का अभाव है।

कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर के निगरानीधीन आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि कलक्टर (मुद्रांक) ने रेफरेन्स के तथ्यों की विवेचना किये बिना ही निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स रेफरेन्स स्वीकार किये जाने का कोई आधार स्पष्ट नहीं किया है व न ही रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच की गई है। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अपीलीय अधिकारी के आदेश / निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स (Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially

लगातार............4

introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है।

11. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

12. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.07.2017 को पेश हों।

13. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य